Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश मुकाम सूरतगढ़।

रोशनी देवी वगैरा बनाम देवीलाल।

किस्म मुकद्मा वाद पत्र संख्या 71 सन् 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
11/03/2020	पत्रावली प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया है कि जैरप्रकरण रकबा चक 7 एसजीआर 'बी' के पतथर न. 17/305, 18/305, 13/312 के 3.376 हैक. रकबा जो प्रार्थीगण के पति/पिता के नाम से खातेदारी रकबा में वादीगण ने अपना हक घोषित करवाने व दिनाक 17.07.2002 को तथाकथित वसीयतनामा को वादीगण के हो पर निष्प्रभावी का दावा जैरकार है तथा वादीगण का माननीय सिविल न्यायालय सूरतगढ़ में वाद सख्या 121/2015 बअनवान रोशनी बनाम देवीलाल से जैरकार है। जिसमें वादीगण ने इस वसीयतनामा को निरस्त व प्रभाव शुन्य घोषित करवाने का दावा पेश कर रखा है तथा सिविल न्यायालय में यह दावा साक्ष्यवादी पर जैरकार है तथा सिविल न्यायालय का निर्णय इस राजस्व न्यायालय पर प्रभावी है इसलिये सिविल न्यायालय के निर्णय तक इस प्रकरण को स्थगित रखा जावे। जिसका विरोध प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने करते हुये इस प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया। यह बात दोनो पक्ष स्वीकार कर रहे है कि इस दावा में वर्णित रकबा का वसीयत नामा दिनाक 17.07.2002 को प्रभाव शुन्य घोषित हेतु सिविल न्यायालय में जैरकार है तथा सिविल कोर्ट का निर्णय राजस्व न्यायालय पर प्रभावी होता है तथा जो भी सिविल कोर्ट से निर्णय होगा उसमें इस न्यायालय की कार्यवाही व निर्णय प्रभावित होगा तथा इस प्रकरण में प्रतिवादी न. 1 व 2 इसी वसीयतनामा के आधार पर प्रतिदावा पेशकर अपने आपको खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाह रहे है इस प्रकार सिविल कोर्ट सूरतगढ़ के निर्णय से यह वसीयत पूर्णतया प्रभावित होगी। यह वसीयत वादीगण के हको पर प्रभाव शुन्य होगी या नही यह सिविल न्यायालय के निर्णय में ही तय होगा। इसलिये हम इस न्यायालय में जैरकार वाद पत्र को सिविल न्यायालय के निर्णय तक पेन्डिग रखना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण धारा 10 सीपीसी दिनांक 14.08.2018 स्वीकार कर सिविल न्यायालय सूरतगढ़ में जैरकार वाद रोशनी देवी बनाम देवीलाल प्रकरण सख्या 121/2015 के अन्तिम निर्णय तक इस न्यायालय के इस वाद पत्र सख्या 71/14 में ही जाने वाली कार्यवाही इसी स्टेज पर पेन्डिग (स्थगित) रखी जाती है। फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.10 15:42:09 IST
Reason: SelfAttested